रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-107/2022/1831/22-2-2022-25(04)/2022

लखनऊ:दिनांक: 14 जुलाई, 2022

शुद्धि-पत्र

बन्दी गुन्नू खॉ (बन्दी सं0-274/2019) पुत्र श्री महाजन खॉ के कारागार से मुक्त करने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या-51/2022/1245/22-2-2022-25(04)/2022 दिनांक 26 मई, 2022 की सोलहवीं पंक्ति में अंकित 'जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज' के स्थान पर ' जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर' पढ़ा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 26-05-2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-107/2022/1831(1)/22-2-2022 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश दिनांक 26-05-2022 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।